# <u> आयुष्मान भारत</u>

- आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई थी
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) रुपये तक का कवर प्रदान करती है। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं।

#### लाभ

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना (प्रधानमंत्री-जेएवाई) लाभार्थी निम्नलिखित स्वास्थ्य देखभाल लाभों के हकदार हैं:

- रुपये तक का स्वास्थ्य कवर। प्रति वर्ष सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख
- परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं
- अस्पताल में लाभार्थी के लिए सेवाओं के लिए कैशलेस पहुंच
- सभी पूर्व मौजूदा स्थितियों को पहले दिन से कवर किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और निदान और दवाओं जैसे अस्पताल के बाद के खर्चीं को कवर करता है
- इस योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं जहाँ एक लाभार्थी कैशलैस उपचार के लिए किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जा सकता है।
- सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली 1393 प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें दवाओं, आपूर्ति, निदान सेवाओं, चिकित्सकों, कमरे के शुल्क आदि तक सीमित नहीं हैं।

### पात्रता मापदंड

• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः अभाव और व्यवसाय के मानदंड लागू करके सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के आधार पर 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है। इसके अलावा, ऐसे परिवार जो पहले से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत आते थे, लेकिन SECC का हिस्सा नहीं हैं, को भी शामिल नहीं किया गया है।

## कहां और कैसे करें आवेदन

- अद्वितीय परिवार कोड के साथ व्यक्तिगत पत्र अतिरिक्त डेटा कलेक्टिव ड्राइव (ADCD) में पहचाने गए परिवारों को भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। इससे लाभार्थियों में जागरूकता बढ़ेगी और सीएससी केंद्र के CARE के बिंदु पर जाने पर पहचान प्रक्रिया में और आसानी होगी।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नागरिकों की मदद करेगा और लाभार्थी आधार SECC सूची की पहचान के लिए 3 लाख से अधिक ग्रामीण स्तर के उद्यमियों का उपयोग करेगा। आवश्यक दस्तावेज
- PM-JAY के तहत पात्रता की जाँच व्यक्तिगत या मतदाता पहचान पत्र (परिवार आईडी) (राशन कार्ड) प्रमाण के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या PM-JAY के साथ अस्पताल में जाकर की जा सकती है

# किसी भी प्रश्न के लिए

- अधिक जानकारी, सहायता, सवाल और शिकायतों के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14555/1800 111 565 पर संपर्क करें
  - पर जाएं <u>www.pmjay.gov.in</u>
  - पात्रता की जाँच करें: www.mera.pmjay.gov.in
  - द्विटरः AyushmanNHA